

मुकेश वगै० बनाम विवेक वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) प्रकरण संख्या 73/2022 दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

क. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25/8/22	<p>वादीगण की ओर से वाद पत्र जरिये अभिभाषक श्री हजारी प्रसाद द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 21/9/22 को पेश हों।</p>	
	21/9/22	<p>उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) सचस्थान</p> <p>वाद पत्र की पेश हुई वादीगण की ओर से (कि) वादीगण के उनके अधिकार को उपस्थित नहीं है। वाद पत्र मत्पान लगाने का आदेश दिया है। तक को उपस्थित नहीं होने पर 21/9/22 तक प्रती 21/9/22 के (कि) रिपोर्ट प्रस्तुत पत्रावली पेश करने के लिए नोटिस जारी किया है।</p>	<p>0.5 per उपस्थित 1/2/22 R (सामयिक उपस्थित है) (नया आदेश पत्र)</p>
		<p>उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) सचस्थान</p>	